भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2709
(19 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महाराष्ट्र में पीएमएवाई-जी

2709. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) संसदीय क्षेत्र में राज्य और जिले-वार स्वीकृत, पूर्ण और निर्माणाधीन घरों की संख्या कितनी है;
(ख) पीएमएवाई-जी के तहत अब तक गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लोगों को खासकर आकांक्षी जिले उस्मानाबाद में उपलब्ध कराए गए घरों की संख्या कितनी है;
(ग) उक्त योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) उक्त योजना में ऐसे कदमों का प्रभाव क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने पीएमएवाई-जी के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले पांच लक्ष्य वर्षों अर्थात 2018-19 से 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (धाराशिव) सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत आबंटित लक्ष्यों की तुलना में स्वीकृत, निर्मित और निर्माण के लिए शेष मकानों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को समग्र रूप से लक्ष्य आवंटित करता है और जिला-वार लक्ष्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में आवंटित लक्ष्यों की तुलना में पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और निर्मित मकानों का जिला-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in----> AwaasSoft---->Reports---->Houses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

(ख): पीएमएवाई-जी का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है और इन परिवारों की पहचान तथा चयन गरीबी रेखा की अवधारणा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आवास वंचन मापदंडों, सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी), 2011 के नियमों के तहत निर्धारित समावेशन/बहिष्करण मानदंडों पर तथा एसईसीसी 2011 से छूटे पात्र परिवारों की पहचान के लिए कराये गए नए आवास+, 2018 सर्वेक्षण पर आधारित है। दिनांक 15.12.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकानों के संचयी लक्ष्य के तुलना में लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक आवासों मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.51 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के आकांक्षी जिले उस्मानाबाद में पीएमएवाई-जी के तहत 13,736 मकानों की मंजूरी और 10,248 मकानों का निर्माण भी शामिल है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है ताकि बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रारंभिक समय-सीमा मार्च, 2022 थी जिसे अब मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.95 करोड़ मकानों के समग्र लक्ष्य को आवंटित किया गया है जिसमें से दिनांक 15.12.2023 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.94 करोड़ से अधिक मकान लाभार्थियों को स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.51 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए "महाराष्ट्र में पीएमएवाई-जी" के संबंध में नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आबंटित, स्वीकृत, निर्मित तथा निर्माण किए जाने के लिए लंबित मकानों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान	निर्माण के लिए लंबित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	25,019	25,017	17,014	8,005
2	असम	15,87,895	15,87,104	14,37,832	1,50,063
3	बिहार	25,32,839	25,32,644	24,88,072	44,767
4	छत्तीसगढ़	7,36,867	7,36,867	5,04,263	2,32,604
5	गोवा	0	0	0	0
6	गुजरात	4,01,727	4,00,844	2,96,668	1,05,059
7	हरियाणा	8,455	8,451	7,335	1,120
8	हिमाचल प्रदेश	8,262	8,262	7,833	429
9	जम्मू और कश्मीर	1,64,946	1,64,921	1,44,821	20,125
10	झारखंड	12,02,688	12,02,628	11,71,966	30,722
11	केरल	13,106	13,102	11,029	2,077
12	मध्य प्रदेश	29,38,906	29,38,879	27,84,601	1,54,305
13	**महाराष्ट्र**	**10,17,317**	**10,12,351**	**8,45,522**	**1,71,795**
14	मणिपुर	35,969	35,320	20,757	15,212
15	मेघालय	57,934	57,929	22,828	35,106
16	मिजोरम	13,908	13,908	1,911	11,997
17	नागालैंड	18,755	18,693	5,064	13,691
18	ओडिशा	19,95,606	19,90,554	12,40,127	7,55,479
19	पंजाब	26,228	25,805	21,741	4,487
20	राजस्थान	12,46,537	12,46,462	12,08,941	37,596

21	सिक्किम	330	322	190	140
22	तमिलनाडु	4,71,811	4,50,997	3,17,539	1,54,272
23	त्रिपुरा	2,36,163	2,36,145	2,21,772	14,391
24	उत्तर प्रदेश	25,05,539	25,05,290	24,12,308	93,231
25	उत्तराखंड	34,216	34,155	30,133	4,083
26	पश्चिम बंगाल	37,63,208	37,63,073	26,10,507	11,52,701
27	अण्डमान और निकोबार	1,212	1,212	857	355
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5,557	5,513	2,976	2,581
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0
30	आंध्र प्रदेश	1,78,910	1,78,910	14,833	1,64,077
31	कर्नाटक	1,20,601	1,17,982	14,772	1,05,829
32	लद्दाख	1,890	1,880	1,745	145
कुल		**2,13,52,401**	**2,13,15,220**	**1,78,65,957**	**34,86,444**

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (धाराशिव) में आवंटित, स्वीकृत, निर्मित और निर्माण किए जाने के लिए लंबित मकानों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं..	**जिले का नाम**	**राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य**	**स्वीकृत मकान**	**निर्मित मकान**	**निर्माण के लिए लंबित मकान**
1	उस्मानाबाद	14,379	14,344	9,696	4,683
2	लातूर	10,855	10,837	7,484	3,371
3	सोलापुर	31,417	31,039	24,761	6,656
कुल		**56,651**	**56,220**	**41,941**	**14,710**

नोट: उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (धाराशिव) में उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर जिले शामिल हैं।

*****